B.A. Part-2

INDIAN POLITICAL SYSTEM (Paper-3)

Topic: - HIGH COURT

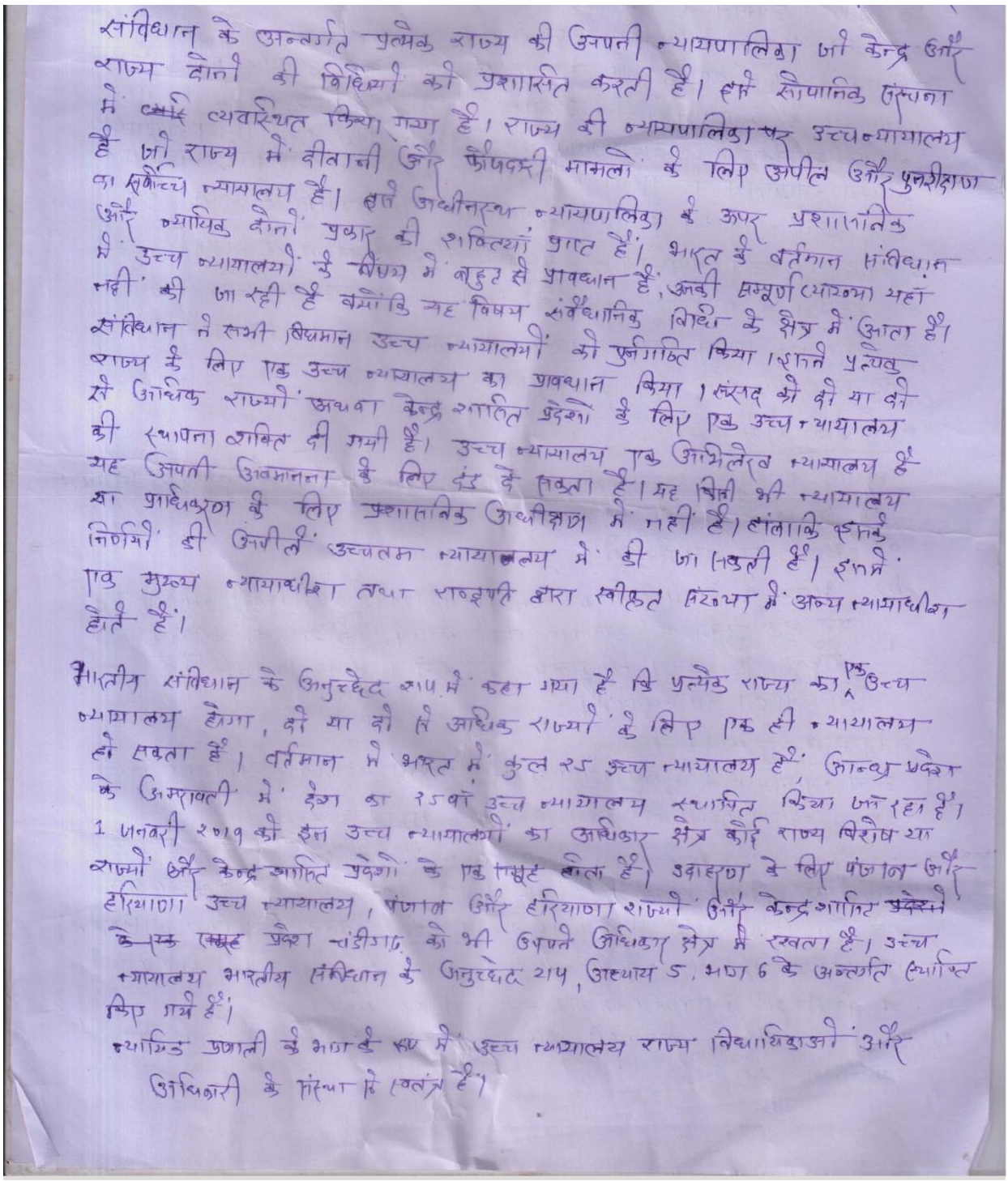

संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य की अपनी न्यायपालिका जो केन्द्र और राज्य दोनों की विधियों को प्रशासित करती है। इसे सोपानिक संरचना में व्यवस्थित किया गया है। राज्य की न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय है जो राज्य में दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अपील और पुनरीक्षण का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे अधीनस्थ न्यायपालिका के ऊपर प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत के वर्तमान संविधान में उच्च न्यायालयों के विषय में बहुत से प्रावधान हैं, उनकी सम्पूर्ण व्याख्या यहाँ नहीं की जा रही है क्योंकि यह विषय संवैधानिक विधि के क्षेत्र में आता है। संविधान ने सभी विद्यमान उच्च न्यायालयों को पुनर्गठित किया। इसने प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया। संसद को दो या दो से अधिक राज्यों अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना शक्ति दी गयी है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है यह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। यह किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के लिए प्रशासनिक अधीक्षण में नहीं है। हालांकि इसके निर्णयों की अपीलें उच्चतम न्यायालय में की जा सकती हैं। इनमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संख्या में अन्य न्यायाधीश होते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, आन्ध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वाँ उच्च न्यायालय स्थापित किया जा रहा है, 1 जनवरी 2019 को इन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा राज्यों और केन्द्र शासित ~~प्रदेश~~ केन्द्र ~~शासित~~ प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, अध्याय 5, भाग 6 के अन्तर्गत स्थापित किए गये हैं।

न्यायिक प्रणाली के भाग के रूप में उच्च न्यायालय राज्य विधायिकाओं और अधिकारी के संस्था से स्वतंत्र है।

संविधान के अनुच्छेद २१५ से २३७ तक में राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख है। अनुच्छेद २१५ के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। और अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति के साथ-साथ अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

संविधान के २१६ वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करता है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सम्मति ले लेता है।

अनुच्छेद २१७ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बन्धित है।

अनुच्छेद २३१ के अनुसार दो या दो से अधिक ~~उच्च न्यायालयों~~ राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है (इसमें अनुच्छेद २१५ आड़े नहीं आती)

न्यायाधीश की योग्यता :-

संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो :-

a) भारत का नागरिक हो।

b) भारत के राज्य क्षेत्रों में कम से कम १० वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो अथवा किसी राज्य के या दो अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम १० वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो।

वेतन, भत्ते और कार्यकाल :-

1. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन २५०,००० रु प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन २२५,००० रु प्रतिमाह होता है।
2. उनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और राज्य का विधान मंडल उनके भत्ते आदि में कटौती नहीं कर सकता। वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर उनके वेतन कम किए जा सकते हैं।
3. सेवानिवृत्त होने पर उन्हें पेंशन दिया जाता है। सेवा निवृत्त होने पर वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते।
4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर ६२ वर्ष की आयु तक पदासीन रहते हैं।

5. संविधान में यह उपबंध है कि उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश तब तक अपने पद से हटाया नहीं जा सकता जब तक संसद के दोनों सदन उस पर सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता का आरोप लगाकर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के ⅔ बहुमत से और समस्त संख्या के बहुमत से हल हेतु इसे अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेज न दे। ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से न्यायाधीश पदच्युत किए जा सकते हैं।

6. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्यागपत्र द्वारा भी पदत्याग कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां :-

राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय ही है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत रख सकते हैं :-

प्राथमिक अधिकार क्षेत्र :-

उच्च न्यायालय को दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मामलों विशेष रूप से स्थानीय क्षेत्र के लिए प्राथमिक अधिकार क्षेत्र मिले हैं। वे सभी दीवानी मुकदमें जिनकी सुनवाई अन्य स्थानों पर जिला कोर्ट में होती है उच्च न्यायालय द्वारा सुने जाते हैं। राजस्व तथा उसकी वसूली से सम्बन्धित मुकदमें इस उच्च न्यायालय के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

अपीलीय अधिकार क्षेत्र :-

उच्च न्यायालयों का अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों तक विस्तृत है। जिन दीवानी मुकदमों में कम से कम 5000 रु की मालियत का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, उनकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, यदि उसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित हो। यदि सेशन कोर्ट ने किसी अभियुक्त को मृत्युदण्ड दिया है तो उस दंड की तस्दीक उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्यतः होना चाहिए।

अधीक्षण की शक्ति :- यद्यपि भारत एकतंत्र है, परन्तु अन्य तंत्रों के विपरीत भारत में संविधान एकतापूर्ण न्यायपालिका और एक ही मौलिक विषयों के समूह की व्यवस्था की गयी है। भारत की न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, आज्ञाओं, निर्णयों इत्यादि द्वारा नियंत्रित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण का अधिकार है। उदाहरणस्वरूप उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से हिसाब को लेखा मांगता है, उनकी प्रक्रिया के सामान्य नियम

निर्धारित करता है और प्रक्रिया एवं व्यवहार के रूपों को नियंत्रित करता है। उच्च न्यायालय यदि अनुभव करे कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में कोई ऐसा मामला विचाराधीन है जिसमें कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न निहित है तो उस मामले को अपने समक्ष मंगवाकर उसका फैसला खुद कर सकता है या अन्तर्ग्रस्त संवैधानिक प्रश्न का निर्णय करके उसे फिर से अधीनस्थ न्यायालय के पास भेज सकता है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पदाधिकारियों, लिपिकों, वकीलों इत्यादि के लिए भी नियम निर्धारित करता है।

<u>अन्य अधिकार क्षेत्र</u> :-

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों में दो दिशाओं में बढ़ोत्तरी हुयी है-

a) राजस्व या उसके संग्रह सम्बन्धी मामले भी उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं;

b) पहले उच्च न्यायालयों को केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख जारी करने का अधिकार था, परन्तु अब उच्च न्यायालयों को बंदी-प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण इत्यादि आदि लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है। इन अधिकारों का प्रयोग केवल मूल अधिकारों के रक्षार्थ ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। इन अधिकारों का महत्व यह है कि नागरिकों को शासन के अन्यायपूर्ण एवं अवैध कार्यों के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का अवसर प्राप्त होता है।

संविधान के 44 वें अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के अधिकारों में परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्तित अधिकार इस प्रकार हैं-

1) उच्च न्यायालय को अपना फैसला देने के साथ उस मुकदमे की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होने के लिए प्रमाणपत्र भी जारी कर देना होगा। उच्च न्यायालय का यह प्रमाणपत्र किसी पक्ष की प्रार्थना पर या स्वयं उचित समझने पर जारी करेगा।

2) अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की पुनः स्थापना कर दी गयी है।

3) किसी के आवेदन पर यदि उच्च न्यायालय दो महीने तक कोई निर्णय नहीं लेता है तो उस पर जो भी अंतरिम निर्णय लिया जायेगा वह दो महीने बाद रद्द माना जायेगा।

उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से सम्बद्ध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है।